



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर पुलिस पार्टी पर फायर करने के आरोपी तसलीम को हुआ 03 वर्ष 03 माह का सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2021 में अभियुक्त तसलीम पुत्र अनवर निवासी मौ0 केतीपुरा करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 227/2021 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 228/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 231/2021 धारा 411/414 भादवि पंजीकृत हुए थे । इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.11.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त तसलीम को दोषी पाते हुए 03 वर्ष 03 माह का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 23.11.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 771/24 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. में वांछित 10-10 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों तथा अन्य एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 डन्डें (आलाकत्ल) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12-11-2024 को थाना बडौत पर वादी देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.शांतनु पुत्र ओमपाल, 2.विशु पुत्र सहदेव, 3.शुभम पुत्र राजेन्द्र निवासीगण ग्राम बिजरौल



थाना बडौत जनपद बागपत व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र सनी तोमर उम्र 35 वर्ष को वादी के घर से गाड़ी में ले जाकर उसकी हत्या करके साक्ष्य मिटाने की नियत से शव को नवनिर्मित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के पास फेंक दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 771/24 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित/इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 771/24 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. में वांछित 10-10 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों शांतनु व शुभम उर्फ काला तथा अन्य एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 डन्डें (आलाकत्ल) बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों शांतनु व शुभम उर्फ काला की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा 10 – 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- दौराने विवेचना अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र रमेश चन्द निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी एन0वी0सी0सी0 थाना खेकडा जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया तथा दिनांक 14.11.2024 को अभियुक्त विशु पुत्र सहदेव निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- इनामी शांतनु पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-इनामी शुभम उर्फ काला पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-हरेन्द्र पुत्र रमेश चन्द निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी एन0वी0सी0सी0 थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त शांतनु का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0स0 972/12 धारा 25 आर्म एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2.मु0अ0स0 287/13 धारा 364/302/201 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3.मु0अ0स0 808/2020 धारा 363/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट थाना बडौत बागपत।
4. मु0अ0स0 771/2024 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना बडौत बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 02 डन्डें (आलाकत्ल)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4- है0का0 19 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 5- का0 712 विनय कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 23.11.2024

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.हरपाल पुत्र खडक सिंह निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.त्रिलोक चन्द पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-खलील पुत्र नजीर निवासी बडका रोड बडका चुंगी के पास करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-गुल्लू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मौहम्मदपुर धूमी थाना जानी जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।

2-थाना चांदीनगर पुलिस टीम ।

3-थाना बडौत पुलिस टीम ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 23.11.2024

थाना छपरौली पुलिस ने 01 शराब तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना

छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल कश्यप पुत्र राजपाल सिंह नि0 ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-



1-उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 23.11.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 297/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महताब उर्फ काला पुत्र इकबाल निवासी ग्राम ओढ़ापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री नन्हे सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-का० 1006 नरसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 23.11.2024

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 20 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुये है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु०अ०सं० 279/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

20 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 23.11.2024

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली

पर मु0अ0सं0 280/24 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अहसान पुत्र खलील निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त अहसान का आपराधिक इतिहास

- 1-मु0अ0स0 051/ 2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2-मु0अ0स0 222/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
मु0अ0सं0 280/24 धारा 8/20 NDPS Act थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 यू0टी0 श्री विपिन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2-है0का0 368 गौरव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3-है0का0 354 निलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना रमाला**

दिनाँक 23.11.2024

थाना रमाला में दाखिल 21 मोटरसाइकिलों की नीलामी के सम्बन्ध में

कार्यवाही-

दिनाँक 23.11.2024 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना रमाला पर वर्ष 2023 के 13 माल मुकदमाती एवं 08 एमवी एक्ट में सीजशुदा वाहनो की नीलामी नायब तहसीलदार बडौत, क्षेत्राधिकारी बडौत व प्रभारी निरीक्षक थाना रमाला की उपस्थिति में खुले परिसर में की गई । उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदो के कुल 27 स्क्रेप व्यापारियो ने हिस्सा लिया । नीलामी की अधिकतम बोली 03 लाख 05 हजार रूपये में सुलेमान पुत्र इस्लाम निवासी मिनाक्षी चौक मूजफ्फरनगर के पक्ष में छूटी ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 23.11.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 54 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब उत्तराखण्ड मार्का व बोतल पर लगाने वाले 907 रैपर बरामद



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 54 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब उत्तराखण्ड मार्का व बोतल पर लगाने वाले 907 रैपर बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 321/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वतन सिंह उर्फ मोनू पुत्र किरणपाल सिंह निवासी ग्राम पट्टी धन कौशिया थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 54 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब उत्तराखण्ड मार्का ।
- बोतल पर लगाने वाले 907 रैपर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री शिवदत्त थाना सिघांवली अहीर जनपद बागपत ।
2. उ०नि० श्री अरविन्द कुमार थाना सिघांवली अहीर जनपद बागपत ।
3. उ०नि० श्री प्रवीण शर्मा थाना सिघांवली अहीर जनपद बागपत ।
4. का० 406 रविन्द्र भाटी थाना सिघांवली अहीर जनपद बागपत ।
5. आबकारी निरीक्षक अजय कुमार क्षेत्र-1 बागपत ।
6. प्रधान आबकारी सिपाही दिनेश कुमार ।
7. प्रधान आबकारी सिपाही आमिर खान ।

